

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका हुकम व में ज
<p>12-716</p> <p>15-716</p> <p>15-716</p>	<p>वकील वादी उपरोक्त पत्रांक दि० 15-716 को केम्प गंगपुर में पेश ही सीमान 5.2.0 सा० दोर पर है।</p> <p>15-716 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प गंगपुर सिटी पर पेश हुई। वादिया की ओर से वादिया के वकील ने प्राप्प इस आशय का पेश किया कि मृतक बत्तास्या की विरासत का नामाङ्कन रकूलवाने हेतु पटवारी दलका को प्राप्प पेश करने पर उनके द्वारा नामाङ्कन रकूल दिया जावेगा इसलिये प्रार्थी अपना मुकदमा विदद्रा कर रहा है। यदि पटवारी द्वारा नामाङ्कन नहीं रकूल जाता है तो प्रार्थी को प्रेश स्वट पेश करने की इजाजत के साथ सज विदद्रा स्वारीज किया जावे।</p> <p>प्रस्तुत प्राप्प के अनुसार वादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ यह दावा विदद्रा करने की अनुमति दी जाती है। पन्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली कैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक्मील कारिका दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनिदेव यादव)</p> <p>एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगपुर सिटी</p> <p>एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगपुर सिटी</p> <p>अध्यक्ष लोक अदालत गंगपुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी</p>	<p>15-716</p>

न्य
पी
क

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(सीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) फोलोअप कैम्प स्थान गंगापूर सिटी

सीटासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

कम्पूरी पुत्री बतास्या पत्नि गुलीचंद, मीना निवासी पट्टीखुर्द बामनवास तह0बामनवास —वादिया

बनाम

लेम्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापूर सिटी जिला सवाईमाधोपुर —प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 147/2014

वादीगण की ओर से वादी कम्पूरी की ओर से वकील श्री हरिशंकर शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 15.7.2016 को मुनिदेव यादव (सीटासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादिया के ओर से वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वादिया का दावा विद दू के आधार पर खारिज किया जाता है एवं भविष्य मे नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

वह आज तारीख 15.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

नम्बर
अहका
हुकम व
में ज

 2
पर है।
शेडर
फत कैम्प
ओर से
य का
सासत
पका
मजिस्ट्रेट
मुकदमा
गामा०
स्ट
रा
दी
ति
अनुमति
जावे।
कम
यादव)
अध्यक्ष
क अदालत
गंगापूर सिटी
एवं
जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी